
Ace 23/116

25 11-6 12016/14-1

संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश



एकल न0क0 अ-1-ब/स्था/को.के./194

विषय:—याचिका कमांक डब्ल्यू०पी० 7488/2015 (एस) द्वारा श्री अनिल कुमार सिंह कुशवाहा विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य प्रकरण में प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने बाबत् ।

माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में श्री अनिल कुमार सिंह कुशवाहा द्वारा याचिका कमांक डब्ल्यू.पी. 7488/2015 (एस) द्वारा श्री अनिल कुमार सिंह कुशवाहा विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य दायर की गई है।

अतः याचिका कमांक डब्ल्यू०पी० 7488 / 2015 (एस) में प्रभारी अधिकारी उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला ग्वालियर को नियुक्त किये जाने हेतु याचिका की प्रति एवं प्रभारी अधिकारी नियुक्ति आदेश की 10 प्रतियां संलग्न प्रेषित है ।

कृपया प्रकरण में शासन पक्ष एवं समर्थन हेतु प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति उपरान्त नस्ती विधि विभाग को अंकित करना चाहेंगे ।

अपर संचालक (स्था०)

अवर सचिव, म0प्र0 शासन,

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग,

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

Sof Or 3.1.11

OP SITE

22-1-16.

CAWAREN

0

संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश

एकल न0क0 अ-1-ब/स्था/को.के./194 विषय:-याचिका कमांक डब्ल्यू०पी० 7488/2015 (एस) द्वारा श्री अनिल कुमार सिंह कुशवाहा विरूद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य प्रकरण में प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने बाबत् । क्रिजनह कि क्पा) अपर संस्थालक (स्थापना) किसान करमार। लका द्वीप विकास के उन्त विकानता ए पूर्व व्यान में THE LEURIS 401 31 STORMENT - 015 / 1214 LANS) BY CORD 30 रनेकालाइ कामालाम किलान क्वमान तथा देश किकारन BIMI & JOHNE BY PHYS N PORT SIMILAN ADDIT STATE लर्नुस्मर अनुमोरनंतरी प्रस्तू र Bri Congraçana 1 । उर्व सो वता व 240 20 10110 XH 10 21 HO क्क यथामस्तावित 10/2/16

29: 11-6 /2016/14-1 3 विषय: - मार्च मां अमां उक्त्यु पीर 7488 15 (एक) हार मंत्री हिंदी स्ति प्रमाद के प्राप्त मंत्री हिंदी छज्योस-२ सचिवालय प्रवीतित्र केर इत्रमा स्वन्द् प्रतिमां कलाह्मतारी प्रतिमे R. क्षाना ६ 3म्यु अविशः 10/2/16 D\$ (5)

अवर सम्पव के हर-तारार

मारी हों। क्षमा उर मिर्देशायुक्तार रवहरू अतिमां स्टलाइनसाकी अस्तुल है। 373. Weri D. 113/16 器前6

45x) 31911K

क्रिमुंभो—196—उनिशाकेमुभो—17-7-15—5,00,000.

THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: Bench at **GWALIOR** बारबपटेश शासन aft fixer (me-1) Process Id: 34130/2015 WP/7488/2015 FOR ADMISSION Fixed for 14-12-2015 From DA- 07 Deputy Registrar, Respondent No. 1 High Court of MP RAD Bench at Gwalior To, The State of Madhya Pradesh Thr, Its Secretary, Department of Agriculture, Mantralaya, Vallabh Bhawan, Bhopal, District- Bhopal (MADHYA PRADESH), Gwalior 18-11-2015 Notice to Respondent No. 1 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Sub: Warranto) No. WP/ 7488/ 2015 Sir/Madam. I am directed to inform you that one Anil Kumar Singh Kushwah has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. WP/7488/2015 Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before 14-12-2015. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte. Your faithfully (Seal of the Court) Encl: Copy of Petition SECTION OFFICER Section Officer High Court Of Madhya Pradesh Bench Gwalior AFFIXED AT GWALIOR

मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक / एफ-11 / 6 / 2016 / 14-1

भोपाल,दिनाँक :- 0 2 3/6

//आदेश//

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का अधिनयम संख्याक—5) आदेश सत्ताईस के नियम) तथा 2 के अधीन प्रवत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए प्रभारी अधिकारी उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला ग्वालियर (पक्षकारों के नाम श्री अनिल कुमार सिंह कुशवाहा) विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य याचिका क्रमांक डब्ल्यू०पी० 7488 / 2015 (एस) में मध्यप्रदेश राज्य के लिए तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए तथा कार्य करने आवेदन करने और उप संजात होने के लिए नियुक्त करते हैं। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्त के तुरंत पश्चात् अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में जिसके ब्योरे नीचे दिये गए हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा:—

- (1) प्रभारी अधिकारी तथ्यों के बारे में तुरंत ऐसी जॉच करेगा जैसी की आवश्यक हो और याचिका में उठाने गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें की मामले के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा । यदि किसी प्रकरण पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था, तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट की जाएगी ।
- (2) समस्त सुसंगत फाइले, दस्तावेज नियम, अधिसूचनाएं तथा आदेश एकत्रित करेगा।
- (3) वाद पत्र/याचिका में उठाये गए समस्त बिन्दुओं का पेरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुये, जिनमें की शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचने की संभावना है, एक रिपोर्ट तैयार करेगा ।
- (4) उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क करेगा ।
- (5) शासकीय अधिवक्ता के सहायता से लिखित कथन तैयार करवाएगा ।
- (6) शासकीय अधिवक्ता की सहायता ।
- (7) प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजेगा :-(क) वाद पत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट ।

(ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप ।

-2-निरंतर

- (घ) मामले के विरुद्धीकरण के लिये आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियां इसमें वाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहिये ।
- (8) मामले की तैयारी और संचालन करने की शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले उसे प्रक्रम और प्रगति के लिये किये गये कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अवगत रखना ।
- (9) जब भी कोई आदेश / निर्देश विशिष्टतया मध्यप्रदेश राज्य के विरूद्ध पारित किया जाता है तब विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस का आवेदन करना ।
- (10) अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश / निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किए जाने के लिये इस विभाग को भेजना ।
- (11) यह देखना है कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो ।
- (12) जैसे ही उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है वह अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा । वह वर्तमान पद का भार सौंप देने के अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाये ।
- (13) प्रभारी अधिकारी मामले तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा, तथा इस बाबत के लिये उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकाशित / छुपी हुई नहीं रह जाये ।
- (14) प्रभारी अधिकारी, नाम दिनॉक अभियोजक मुकर्रर है तो वह, जैसे ही वाद का विनिश्चय होता है परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को करेगा। निर्णय की एक प्रति अभी प्राप्त की जाए और रिपोर्ट के साथ भेजी

–3–निरंतर

प्रभारी अधिकारी या अन्य यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहां किसी वाद के प्रकरण में पारित किये गये किसी अंतिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है समय पर कार्यवाही की (15)गई है । अतएव वह उस आदेश की प्रति जैसे ही वह पारित किया जावे विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपना अनुशंसा के साथ (सरकार) प्रशासकीय विभाग को अग्रेषित करें ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल

भोपाल,दिनाँक :- 02 - 3- 14

5

पृ०क्रमांक / एफ-11 / 6 / 2016/14-1

महाधिवक्ता म.प्र. उच्च न्यायालय, खंडपीठ ग्वालियर म.प्र। प्रतिलिपि:-

सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल । 2

संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, म.प्र भोपाल.।

संबंधित जिलाध्यक्ष, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश।

संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास ग्वालियर संभाग 3 5

उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला ग्वालियर (प्रभारी ग्वालियर मध्यप्रदेश । अधिकारी) की ओर अग्रेषित साथ ही शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करने और उपस्थिति प्रमाण-पत्र प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक 6 भेंट (विजिट) पर शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिये सलाह करने और मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ उसे उनके विभागाध्यक्ष को भेजने हेतु अग्रेषित करेगा। मामले की प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जावे ।

आदेश नस्ती । 7

3-142 सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा विकास विभाग,मंत्रालय,भोपाल

A) 1 / 50